भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5015
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः पंजाब में फसल विविधीकरण

5015. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गेहूं और धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए पंजाब में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) पंजाब में जैविक खेती और शून्य-बजट प्राकृतिक खेती आदि जैसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित और समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त हो, सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन जैसे वैकल्पिक राजस्व अर्जन पर जोर देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) मूल हरित क्रांति राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अधिक जल का उपयोग करने वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों हेतु उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान कर रही है और राज्य, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

(ख) सरकार, पंजाब राज्य सहित पीएम-आरकेवीवाई के एक घटक परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से, देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और मार्केटिंग तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस योजना का प्राथमिक फोकस जैविक क्लस्टर बनाने पर है, जहाँ छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

सरकार, पंजाब सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी लागू कर रही है, ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती (एनएफ) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य स्थिरता, जलवायु अनुकूलन और सुरक्षित भोजन की दिशा में प्राकृतिक खेती पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करना है।

(ग) सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद, क्षेत्र या राज्य विशेष के आधार पर नहीं, अपितु पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

(घ) एवं (ङ) पंजाब सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्रक योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)", केंद्रीय क्षेत्र "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" योजना के माध्यम से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है और इस तरह किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के पोषण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2018-19 से पीएम-आरकेवीवाई के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है ।

****